

न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली

पीठासीन अधिकारी

भागीरथ राम (आर.टी.एस.)

दिनांक 25.9.17

मि0न023/17

निर्णय

सरकार बनाम सुबेसिंह

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी पटवार हल्का संरुण्ड ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि संवत 2074 में वाके ग्राम संरुण्ड के खसरा नंबर 601/0.17किस्म जमीन गै0मु0 चाह में से 0.01 पर सुबेसिंह पुत्र छीतर सिंह जाति राजपूत निवासी संरुण्ड ने रूडी व डालकर अतिक्रमण कर लिया है

अतः रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायल को भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामिल सामिल पत्रावली किये गये। सूचना परान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आया । अतः गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अतः गैर सायल सुबेसिंह पुत्र छीतर सिंह सिंह जाति राजपूत निवासी संरुण्ड को वाके ग्राम संरुण्ड के खसरा नंबर 601 किस्म जमीन गै0मु0 चाह पर अतिक्रमि घौषित करते हुए उक्त आराजीयात पर डाली गई रूडी को हटवाया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.40रू का पचास गुणा 20रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली, पैलन्टी वसूली हेतु भू0अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो। तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर होकर नंबर से कम हो।

दिनांक 25.9.17 को सर्वे इजलास सुनाया गया।
पृष्ठ संख्या 36 पर 2018
हफ्ते कायम किये गये।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)